न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार बहक श्री गणेशराम

जरिये पटवार हल्का टापरवाड़ा पुत्र श्री धनाराम

जाति जाट नि टापरवाड़ा

मुकदमा नं. 15 / 2017 राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 07/09/17

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम टापरवाड़ा खसरा नम्बर 811 रकबा 0.2700 हैक्टर किस्म सिवायचक बा04 (राजकीय भूमि) पर फसल खरीफ संवत 2074 में श्री गणेशराम पुत्र श्री धनाराम जाति जाट निवासी टापरवाड़ा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा फसल बाजरा बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी पेशी दि. 7/9/17 को अनुपस्थित। अप्रार्थी की ओर से मौखिक व लिखित में कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा बोई गई फसल को कुर्क एवं फसल निलाम हेतु LR रिड़ को आदेशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम टापरवाड़ा ख.न. 811 रकबा 0.27 है. किस्म सिवायचक बा04 पर फसल खरीफ संवत 2074 में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर फसल बाजरा बोकर कब्जा कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 3/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 4.05 रू. पूर्णांक 4.00 रू. (रूपये चार रूपये जुर्माना) शास्ति कायम की जाती है। फसल निलामी - जुगलकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण सा. टापरवाड़ा 350/-

निर्णय की कियान्विती हेतु पटवारी हल्का टापरवाड़ा भु. अभिलेख निरीक्षक रिड़ एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/09/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला नागौर (राज.)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)